राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 15/21

दायर दिनांक 08.07.2021

पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. अमरचन्द पुत्र हरकरण
2. गोपीलाल पुत्र किशना
3. देवाराम पुत्र किशना
4. पीथाराम पुत्र किशना
5. मांगीलाल पुत्र किशना
6. चौथूराम पुत्र भंवरा
7. पेमाराम पुत्र हरकरण
8. भैरूराम पुत्र भंवरा
9. भीवाराम पुत्र भंवरा
10. मंगलाराम पुत्र भंवरा
11. मदनलाल पुत्र भंवरा
12. मेहराम पुत्र भंवरा
13. राकेश पुत्र नोरतराम

सर्वजाति माली सर्वनिवासी ठेल्या का बेरा ग्राम करकेडी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र उगमा जाति जाट
2. मोतीराम पुत्र उगमा जाति जाट
3. जीवराम दत्तक पुत्र पूसा जाति जाट
4. नाथूलाल पुत्र हरजी जाति जाट
5. नानू पुत्र मगना जाति जाट
6. परमेश्वर पुत्र हरिराम जाति जाट
7. सेठू पुत्र हरिराम जाति जाट
8. पाबू पुत्र जयराम जाति जाट
9. श्रवण पुत्र जयराम जाति जाट
10. श्योराम पुत्र जगन्नाथ जाति जाट
11. प्रभू पुत्र स्व0 सूरजकरण जाति जाट
12. मांगीलाल पुत्र स्व0 सूरजकरण जाति जाट
13. गोपी पुत्र स्व0 सूरजकरण जाति जाट
14. लादू पुत्र स्व0 भींया जाति जाट
15. रतना पुत्र स्व0 भींया जाति जाट
16. भागचन्द पुत्र स्व0 भींया जाति जाट
17. हरदीन पुत्र स्व0 भींया जाति जाट
18. कमला पुत्री मगना जाति जाट
19. ग्यारसी पुत्री मगना जाति जाट
20. बिरजी देवी पत्नि उगमा जाति जाट
21. कान्ता पुत्री उगमा जातिं जाट
22. लाली देवी पुत्री उगमा जाति जाट
23. शान्ति देवी पुत्री उगमा जाति जाट
24. हीरा पत्नि जयराम जाति जाट

    सर्वनिवासी बाला जी/चोटिया की ढाणी ग्राम करकेडी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

25. श्री श्रीजी महाराज वाके सलेमाबाद, जिला अजमेर (राज.)
26. ओम प्रकाश पुत्र भंवरा जाति जाट
27. कानी देवी पत्नि हरदेव जाति जाट
28. चेनाराम पुत्र रूघनाथ जाति जाट
29. छग्गूडी देवी पत्नि रूघनाथ जाति जाट
30. जवानाराम पुत्र बींजा जाति जाट

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

31. जीवणराम पुत्र सुजा जाति जाट
32. देवकरण पुत्र बींजा जाति जाट
33. नानूराम पुत्र सूजा जाति जाट
34. बीरम पुत्र पूसा जाति जाट
35. मनोहर पुत्र रूघनाथ जाति जाट
36. मोनिका देवी पुत्री हरदेव जाति जाट
37. रामचन्द्र पुत्र पूसा जाति जाट
38. रामेश्वरी पुत्री पूसा जाति जाट
39. लालचन्द पुत्र सुवा जाति जाट
40. लीला देवी पुत्री रूघनाथ नावालिग जरिये माता मती छग्गूडी देवी पत्नि रूघनाथ जाति जाट
41. श्योनाथ पुत्र सूजा जाति जाट
42. श्रवण पुत्र पूसा जाति जाट
43. सन्तु देवी पुत्री हरदेव जाति जाट
44. समराराम पुत्र छीतर जाति जाट
45. सोदान पुत्र बींजा जाति जाट
46. हेमा देवी पुत्री हरदेव जाति जाट
47. हरजी पुत्र पूसा जाति जाट
48. हरनाथ पुत्र पूसा जाति जाट

अप्रार्थी संख्या 26 लगायत 48 निवासी बेड़ा की ढ़ाणी, ग्राम करकेडी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

49. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

———अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा0का0अधि0

निर्णय दिनांक 28.07.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खसरा सं0 138 रकबा 3.3088 हैक्टर में प्रार्थीगण का हिस्सा निहित होकर उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं0 138 रकबा 3.3088 हैक्टर के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं0 1 से 24 के खातेदार की कृषि भूमि खसरा सं0 135 है। राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में भीया पुत्र गणेश, सूरजकरण पुत्र जगन्नाथ व अमरी पत्नि बींजा का अंकन हो रखा है परन्तु भीया पुत्र गणेश, सूरजकरण पुत्र जगन्नाथ व अमरी पत्नि बींजा की मृत्यु हो चुकी है। मृतक भीया पुत्र गणेश के अप्रार्थी सं0 14 से 17 विधिक वारिसान है, मृतक सूरजकरण पुत्र जगन्नाथ के अप्रार्थी सं0 11 से 13 विधिक वारिसान है तथा मृतक अमरी पत्नि बींजा के जवानाराम देवकरण व सोदान पुत्रगण होकर विधिक वारिसान है जो प्रकरण में अप्रार्थी सं0 30, 32 व 45 के रूप में सयोजित है। अप्रार्थी सं0 1 से 24 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं0 135 के लगता हुआ पूर्व दिशा में रास्ता स्थित है जिसके खसरा सं0 1200/162 है जो करकेड़ी से सांचोर जाता है। खसरा सं0 1200/162 में स्थित रास्ता जो करकेड़ी से सांचोर जाता है जिसका अंकन राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी व नक्शा में हो रखा है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा सं0 138 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं0 1 से 24 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं0 135 में से होकर उक्त कृषि भूमि खसरा सं0 135 से लगता हुआ पूर्व दिशा में स्थित रिकोर्ड रास्ता खसरा सं0 1200/162 से करकेड़ी से सांचोर जाने वाले रास्ते से काफी वर्षों से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वज आते जाते रहे है तथा मौके पर आने जाने हेतु रास्ता बना हुआ है। उक्त रास्ता का नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] संलग्न नक्शा में लाल से दर्शाया हुआ है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं0 [illegible] में वर्णित रास्ता की भूमि खसरा सं0 1200/162 करकेड़ी से सांचोर जाने वाले रास्ते का [illegible] रिकोर्ड में हो रखा है परन्तु अप्रार्थी सं0 1 से 24 की खातेदारी की भूमि खसरा सं0 135 [illegible] नक्शा में लाल रंग से दर्शित रास्ता का अंकन राजस्व रिकोर्ड में [illegible] है। उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकोर्ड में नही होंने के कारण अप्रार्थी सं0 1 लगायत 24 के द्वारा उक्त का [illegible] फायदा लेने की नियत से प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत होने के कारण अप्रार्थी प्रभू, मांगीलाल, गोपी, सेठू व श्योराम के द्वारा उक्त रास्ता से आने जाने में बाधा कारित करते हुये दिनांक 01.06.2021 को आने जाने में बाधा कारित की जिसके कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 24 के मध्य झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं0 138 पर आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शित रास्ता ही एक मात्र सुगम व लघुतम रास्ता है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई सुगम व लघुतम रास्ता नही है। प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया उक्त रास्ता की अत्यन्त आवश्यकता है। यह कि वर्तमान युग मशीनी युग हैं मशीन से ही कृषि भूमि का समुचित रूप से उपयोग किया जाकर समुचित उपज प्राप्त की जा सकती है। इस कारण कृषि भूमि से अच्छी उपज लेने हेतु कृषि यंत्रो का भूमि पर आना जाना आवश्यक है। कृषि यंत्रो के आने जाने हेतु कम से कम 30 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक बताते हुये उक्त रास्ता 30 फीट चौड़ाई का रास्ते की लम्बाई तक दिये जाने का निवेदन करते हुये उक्त का अंकन राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शा में रास्ते का अंकन किया जाकर तरमीम किये जाने अनुतोष चाहा गया हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 37 व 39 लगायत 49 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 38 का नोटिस लेने से मना करने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ इस कारण अप्रार्थी संख्या 38 के नोटिस को तामिल माना गया। अप्रार्थी संख्या 26, 27 31, 33, 39, 44, 48 की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल ढ़ेल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 10 लगायत 12, 13, 16 की ओर से अधिवक्ता श्री विमल किशोर तिवाड़ी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 25 की ओर अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार दाधीच ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 49 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न0 138 पर आवागमन हेतु ख0न0 135 में से प्रस्तावित रास्ते को सरल, सुगम, कम दूरी का होना बताया है। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.07.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 20 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाना पर्याप्त बताया है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार ख0न0 135 में से गुजरने वाला रास्ता ख0न0 138 तक की पहुंच का सबसे निकटतम व सरलम है। ख0न0 135 में से रास्ता दिये जाने पर दूरी न्यूनतम बनती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 की भूमि ख0न0 135 मे से 20 फीट चौडा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। ख0न0 135 में से रास्ता दिये जाने पर भूमि का रकबा 0.1103 है0 बनता है। तहसीलदार रूपनगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ख0न0 135 की डी0एल0सी0 दर 260662/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ता ख0न0 135 की डी0एल0सी0 दर अनुसार रकबा 0.1087 है की दुगुनी राशि 56654/– अक्षरे छप्पन हजार छह सौ चौवन रूपये बनती है। खसरा नम्बर 135 में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाला रकबा, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है–

क0स0	ख0न0	खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
01	135	कमला पुत्री मगना	0.0022	1146
02	135	कान्ता देवी पुत्री उगमा	0.0005	260
03	135	ग्यारसी पुत्री मगना	0.0022	1146
04	135	गोपाल पुत्र उगमा	0.0005	260
05	135	जीवणराम दत्तक पुत्र पूसा	0.0137	7140
06	135	नाथूलाल पुत्र हरजी	0.0137	7140
07	135	नानू पुत्र मगना	0.0091	4744
08	135	परमेश्वर पुत्र हरिराम	0.0028	1460
09	135	पाबू पुत्र जयराम	0.0034	1772
10	135	बिरजी देवी पत्नि उगमाराम	0.0143	7454
11	135	लादू पुत्र भींया	0.0034	1772
12	135	रतना पुत्र भींया	0.0034	1772
13	135	भागचन्द पुत्र भींया	0.0034	1772
14	135	हरदीन पुत्र भींया	0.0034	1772
15	135	मोतीराम पुत्र उगमा	0.0005	260
16	135	लाली देवी पुत्री उगमा	0.0005	260
17	135	श्योराम पुत्र जगन्नाथ	0..0081	4222
18	135	श्रवण पुत्र जयराम	0.0034	1772
19	135	शांति देवी पुत्री उगमा	0.0005	260
20	135	सेठू पुत्र हरिराम	0.0028	1460
21	135	प्रभू पुत्र सूरजकरण	0.0045	2346
22	135	मांगीलाल पुत्र सूरजकरण	0.0045	2346

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अंजमेर)

23	135	गोपी पुत्र सूरजकरण	0.0045	2346
24	135	हीरा पत्नि जयराम	0.0034	1772

प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया ।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested